बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

।। अधिसूचना ।।

संख्या :– 7/नियो० 1–14/2013 ......71......   पटना, दिनांक :– 23-01-2014

राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जबकि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 में कतिपय संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 47 सह पठित धारा 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 में निम्नांकित रूप से संशोधन हेतु नियमावली बनाती है :–

" **बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2014** "

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** ।– (i) यह नियमावली "बिहार, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2014" कही जाएगी।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **नियमावली के नियम 6 का संशोधन** ।– नियमावली के नियम 6 को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   " **उर्दू शिक्षकों/संस्कृत शिक्षकों/बांग्ला शिक्षकों का नियोजन** ।– (i) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के उर्दू पदों पर बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी/आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उर्दू **में इन्टरमीडियट/स्नातक** की योग्यता रखने वाले (इन्टरमीडियट में न्यूनतम 50 अंकों का उर्दू विषय) एवं नियम 5 में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा।

   (ii) संस्कृत शिक्षकों के पदों पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उप शास्त्री/शास्त्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक की योग्यता एवं नियम 5 में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता के अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा।

   (iii) बांग्ला शिक्षकों के पदों पर बांग्ला भाषा में इन्टर स्तर की योग्यता अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता एवं नियम 5 में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता के अभ्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा। "

3. **नियमावली के नियम 7 का संशोधन** ।– नियमावली के नियम 7 के भाग "अधिसूचना की तिथि से सभी पदों पर 8 वर्षों तक सीधे नियोजन किया जायेगा" को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :– "अधिसूचना की तिथि से 2 वर्षों तक सभी पदों पर सीधे नियोजन किया जाएगा"।

4. **नियमावली के नियम 11(ख) का संशोधन ।**– नियमावली के नियम 11(ख) के उप नियम(viii) के बाद एक अतिरिक्त उप नियम (IX) निम्नवत् जोड़ा जाता है :– " भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंको का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। "

5. **नियमावली के नियम 11 के उप नियम ङ(1) का संशोधन ।**– नियमावली के नियम 11 के उप–नियम ङ(1) के अन्तिम वाक्य "इस प्रकार कुल तीन समव्यवहार के बाद नियोजन की प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी" को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

" पद रिक्त रहने पर नियोजन इकाई द्वारा चौथे समव्यवहार में रिक्त पदो के 10 गुणा तक मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाकर निर्धारित तिथि को कैम्प के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। रिक्त पदों के अन्तर्गत उन पदों की गणना भी की जाएगी जो इस नियोजन के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरान्त पद छोड़ कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में योगदान कर लिया गया हो। ऐसा पद उसी कोटि का माना जाएगा जिस कोटि के अभ्यर्थी ने पद छोड़ा हो। चौथे समव्यवहार के उपरांत भी यदि रिक्तियाँ शेष रह जाएगी तब शेष रिक्तियों को भरने हेतु समय तालिका अलग से निर्धारित कर उन्हें भरने हेतु इसी प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकेगा। "

6. **नियमावली के नियम 15 (घ) (ii) का संशोधन ।**– नियमावली के नियम 15 (घ) के उप नियम (ii) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :– " नियुक्ति के समय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणरत अभ्यथियों को नियोजन इकाई के द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु अवैतनिक अनुमति दी जाएगी। साथ ही ऐसी अनुपस्थित अवधि को सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी। "

7. **नियमावली के नियम 15 (छ) का संशोधन ।**– नियमावली के नियम 15 (छ) के उप नियम (vi) के बाद एक अतिरिक्त उप नियम (vii) निम्नवत् जोड़ा जाता है :– " जिला प्रशासन अथवा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी शिक्षक एवं अनुदेशक को विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित पाये जाने पर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण असंतोषप्रद होने पर सम्बन्धित शिक्षक एवं अनुदेशक की अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटने का निदेश दिया जा सकेगा। "

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 7/नि॰1 – 14/2013 71 पटना, दिनांक :– 23-01-2014

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/महालेखाकार, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी कोषागार

पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 7/नि.ग.ब.–14/2013 71 पटना, दिनांक :– 23-01-2014

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी० डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 3000(तीन हजार) प्रतियाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

No :- 7/Niyo.-1-14/2013 ....71.. Patna, dt. :- 23-01-2014

The state government is satisfied that such circumstances exist which render it necessary to mend the "Bihar Panchayat Elementary Teachers (employment and service conditions) Rules 2012" in the following manner;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the provisions of section 47 read with article 146 of Bihar Panchayat Raj Act – 2006, the state government is pleased to make the following rules to amend in the said rules :-

"Bihar Panchayat Elementary teachers (Employment and service conditions) (Amendment) Rules 2014"

Title, Extent and Commencement |- (1) These Rules may be called the "Bihar Panchayat elementary teachers (employment and service condition), (amendment) Rules – 2014."

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Rule 6 |- The Rule 6 of the said Rules 2012 is substituted by the following :- **Employment of Urdu teachers/Sanskrit teachers/Bangla teachers** |- (i) On the posts of Urdu teachers in primary and middle school, the candidates having Maulvi/ Alim degree given by Bihar Madarsa Board or having qualification of Urdu in intermediate/graduation from a recognised Board/University (minimum one Urdu subject of 50 marks in intermediate) and having training qualification prescribed in rule 5 will be employed.

(ii) On the posts of Sanskrit teachers, the candidates having up Shastri or Shastri degree given by Kameshawar Singh Sanskrit University or having graduate degree in Sanskrit from a recognised Board/university and having training qualification prescribed in rule 5 will be employed.

(iii) On the posts of Bangla teachers, the candidates having qualification of intermediate level in Bangla language or having graduate qualification in Bangla from a recognised Board/university and having training qualification prescribed in rule 5 will be employed.

3. Amendment of Rule 7 |- The portion of the Rule 7 "all the posts will be filled up through direct employment till 8 years from the date of the notification" shall be replaced with "all the posts will be filled up through direct employment till 2 years from the date of the notification".

4. Amendment of Rule 11(b) |- An additional sub rule (ix) is added after the sub rule (viii) of Rule 11(b) as follows :- Weightage of additional 10 marks in the total marks of merit will be given to the widow candidates of ex-servicemen.

5. Amendment of sub rule e (i) of Rule 11 |- The last sentence of sub rule e (i) of Rule 2011 "Accordingly, after such three transactions, the employment process will be completed" is replaced by the following :-

"If the vacancies remain, the employment unit will complete the employment process by organising camp on the decided dates in the fourth transaction by inviting candidates according to merit list up to 10 times to the available rest vacancies. Those posts will also be counted in the vacancies which are lying vacant due to leaving the posts after joining and taking employment in another employment unit by the candidate. Such posts will be treated of the same categories as left by the candidates concerned. After fourth transaction, if the vacancies will still remain, the programme will be determined to fill up the rest vacancies as per the prescribed time table.

6. Amendment of sub rule (d) (ii) of Rule 15 |- The rule (d)(ii) of Rule 15 is substituted by the following "The employment unit shall grant leave without pay to the candidates taking training in a recognised institution to complete the training. In addition, such absent period shall not be treated as break in service.

7. Amendment of sub Rule (g) of rule 15 |- An additional sub rule (vii) is added after the sub rule (vi) of Rule 15 (g) in the following manner : - "The officers of district administration and the education department will give show cause notice to the

absent teachers and instructors when they are found absent without information from the school. If the show cause will be unsatisfactory, the order for the deduction of their salary for the absent period can be given.

By order of the Governor,

(Amarjeet Sinha)

Principal Secretary.

Memo No. :- 7/Niyo.-1-14/2013 ...71... **Patna, dt.** 23-01-2014

Copy to :- All Principal Secretary/All Secretary/Accountant General, Bihar/All Divisional Commissioners/Director, Primary Education/ Director, Secondary Education/ All District Magistrates/All Regional Deputy Directors of Education/All Deputy Development Commissioners/All Municipal Commissioners, Municipal Corporation/All District Education Officers/All District Program Officers/All Executive Officers, Municipalities/All Block Development Officers and All Block Education Officers for information and necessary action.

Principal Secretary

Memo No. :- 7/Niyo.-1-14/2013 ...71... **Patna, dt.** 23-01-2014

Copy to :- Superintendent Govt. Printing Press, E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna with a copy of the C.D. for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette. He is requested to make available 3000 copies of the gazette for official use.

Principal Secretary